RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
Entrepreneur First

HO: Udyog Bhawan, Tilak Marg,
C-Scheme, Jaipur-302005
EPBX-0141-2385522/Fax No. 0141-2385503

Ref.No. RFC/F.Law-3/LPM/7/2848 Dated: 13 Aug.,2018

CIRCULAR
(Conv. 58)

Re: Ensuring proper stamp-duty on instruments being executed by Public Offices

Reiterating the earlier circulars issued on the subject, the Office of IG Registration & Stamps , Govt. of Rajasthan, Ajmer vide their recent Circular No. F.7(94)Jan/2017-18/8435 dated 01.06.2018 (copy enclosed) has directed that under the provisions of Sub-Sec. (3) of Sec. 37 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 read with sub rule (1) of Rule 64 of the Rajasthan Stamp Rule, 2004 the State Govt. is empowered to determine those offices as "Public Offices" where documents related to property and any other documents on which stamp-duty is levied, are either executed or presented as per the schedule of the Rajasthan Stamp Act 1998.

The State Govt. had already determined all the Corporation of the State of Rajasthan as Public Office vide its Notification No. P.2(20)Vitt/Kar-Anu/1997 dated 16.12.1997. Earlier, on the subject a circular No. F-6(1)Vividh/Nirikshan/1314 dated 02.11.2010 issued by the Office of IG, Registration & Stamps, had already been circulated by the Corporation vide its Circular dated 03.12.2010 (Conv.34) for necessary compliance.

Now, the State Govt. vide the recent circular dated 01.06.2018 has informed about the duties of Public Offices as well as the duties of in-charge of the Public Office under the Rajasthan Stamp Act, 1998. It is clearly mentioned in the circular that it is the duty of Public Offices to ensure that proper stamp-duty is paid on every instrument/document and if any executant denies to pay proper stamp-duty than to refer the matter to the Collector (Stamps) for initiation of proceedings for proper stamping. It has also been directed to examine the executed documents whether proper stamp-duty has been paid on it, otherwise unduly stamped

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION

HO: Udyog Bhawan, Tilak Marg,
C-Scheme, Jaipur-302005
EPBX-0141-2385522/Fax No. 0141-2385503

---

document is required to refer to the Collector (Stamps) by impounding it for initiation of proceedings for recovery of proper stamps-duty.

Duties of the Public Office is described in Section 85 of the Act and non-compliance of Section 85 of the Act is a punishable offence, which may attract cash penalty as well as imprisonment upto two years u/s 81 of the Act. Copy of the Circular dated 01.06.2018 of State Govt. is enclosed for your ready reference and to make compliance as per the letter & spirit of the Circular.

Accordingly, all concerned are advised to make compliance of above directions strictly, so as to avoid unpleasant situation.

6/8/2018
(Sandhya Sharma)
Executive Director

Encl: as above

Copy to:-

1. All BOs
2. Standard Circulation at HO
3. Manager(MS), RFC, HO for hoisting on website.

परिपत्र संख्या 07/2018

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"पंजीयन–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ.7(34)जन/2017–18/ 8435 दिनांक : 01-06-2018

–: परिपत्र :–

विषय :– लोक कार्यालयों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेजों पर देय मुद्रांक शुल्क की देयता सुनिश्चित करने के संबंध में।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 37 की उपधारा (3) सपठित राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 64 उपनियम (1) में राज्य सरकार को ऐसे कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित करने का अधिकार है। जहां पर संपत्ति संबंधी एवं अन्य दस्तावेज निष्पादित होते है अथवा प्रस्तुत होते है एवं जिन पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की अनुसूची के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी देय होती है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.2(20)वित्त/कर–अनु/1997 दिनांक 16.12.1997 के द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों को 'लोक कार्यालय' घोषित किया हुआ है:–

1. केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त कार्यालय,
2. केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाऐं,
3. नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम/नगर सुधार न्यास/समस्त विकास प्राधिकरण/आवासन मण्डल के समस्त कार्यालय, एवं अन्य समस्त स्थानीय निकाय,
4. दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय
5. समस्त पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं के कार्यालय,
6. समस्त निगमित एवं अनिगमित कम्पनीयों के कार्यालय,
7. नोटेरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्त के कार्यालय,

लोक कार्यालय के दायित्व

- लोक कार्यालय समक्ष अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित (Unduly Stamped) दस्तावेज प्रस्तुत होने पर ऐसे दस्तावेज को Impound कर कलक्टर (मुद्रांक) को स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारण एवं वसूली हेतु भिजवाने का दायित्व (धारा–37(4))
- लोक कार्यालय अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेज (Unduly Stamped) के आधार पर कोई कार्यावाही (Act upon) नहीं करेगा। (धारा–39)

लोक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के दायित्व

(राजस्थान स्टाम्प अधिनियम,1998 के अन्तर्गत)

- दस्तावेज के पक्षकार के रूप में सभी लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी का दायित्व है कि वह कोई ऐसा दस्तावेज निष्पादित नहीं करे जिस पर पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया हो। (धारा–17)
- पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किये बिना दस्तोवज निष्पादित करना धारा–73 के अधीन एक अपराध है, जिसके लिए 5000/– रू तक दण्ड का प्रावधान है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–85 के तहत लोक कार्यालयों के दायित्व

- लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी का दायित्व है कि वह पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर हस्तलिखित, टंकित रिकॉर्ड या इलेक्ट्रोनिक रूप में संधारित रजिस्टरों, पुस्तकों एवं अन्य सभी दस्तावेजों की मूल या प्रमाणित प्रतियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराये और निरीक्षण की मांग पर रिकार्ड का निरीक्षण कराये।

धारा–85 का उल्लघंन के तहत एक दण्डनीय अपराध है।

- धारा–81 के तहत शास्तियाँ निम्नानुसार है–
- प्रथम उल्लघंन –500/रू तक
- द्वितीय उल्लघंन –1000/रू तक
- तृतीय एवं पश्चातवर्ती उल्लघंन –2000/–रू तक एवं 2 वर्ष तक का कारावास

उपरोक्त विधिक प्रावधानों के तहत लोक कार्यालयो के प्रभारी अधिकारीयों का यह दायित्व है कि उनके समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज आये या निष्पादित हो जो मुद्रांकित होना चाहिए, किन्तु अमुद्रांकित है अथवा अपूर्ण मुद्रांकित है तो उसे पूर्ण मुद्रांकित करावें अथवा यदि पक्षकार पूर्ण

मुद्रांकन से मना करें, तो उस दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांकन की कार्यवाही हेतु संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) को रेफरेन्स करें।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 37(4) के प्रावधान की पालना करना लोक कार्यालयों की प्रभारी अधिकारीयों के लिये बाध्यकारी है। उक्त बाध्यकारी प्रावधान की पालना नहीं करने के कारण महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों में तथा सीएजी द्वारा अपनी विभिन्न रिपोर्टस में गंभीर आक्षेप लिये गये है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–17 के प्रावधानानुसार दस्तावेज निष्पादन की दिनांक या उसके ठीक पश्चात् के अगले कार्य दिवस को स्टाम्प शुल्क देय होता है। लोक कार्यालयों जैसे विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत इत्यादि में निष्पादित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बिना मुद्रांक/अपूर्ण मुद्रांक पर निष्पादित किये जाते है, इस कारण राज्य सरकार को दस्तावेज निष्पादन की दिनांक को ही प्राप्त होने वाला राजस्व समय पर प्राप्त नहीं होने से राजस्व हानि होती है। यह भी देखने में आया है कि अनिवार्य रूप से पंजीयन योग्य दस्तावेजों का पंजीयन नहीं करवाये जाने से भी राजस्व हानि होती है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की अनुसूची में वर्णित महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर देय स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार भिजवाई जा रही है। आपके कार्यालय द्वारा दस्तावेज का निष्पादन पूर्ण मुद्रांकन पर किया जावे तथा पक्षकारों से पेश होने वाले दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क भुगतान किये जाने की तथ्यों की जांच करने का श्रम करें तथा जिन दस्तावेजों में नियमानुसार देय मुद्रांक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, उन दस्तावेजों को Impound कर संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) को भिजवाने का श्रम करावें। ताकि कलक्टर (मुद्रांक) के द्वारा देय मुद्रांक शुल्क की वसूली की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

1-6-18

(श्याम लाल गुर्जर)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर

क्रमांक : एफ.7(94)जन/2017–18/ 8436 – 9066 दिनांक : 01-06-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. प्रतिलिपि निम्नांकित शासन सचिवों/विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को परिपत्रानुसार पालना के निर्देश देने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित है:–
   (1) प्रमुख शासन सचिव, नगरीय आवासन विकास विभाग, जयपुर/ सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
   (2) प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DISCOM) जयपुर/ जोधपुर/अजमेर।
   (3) प्रबन्ध निदेशक, अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर।
   (4) प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड/ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर।
   (5) आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
   (6) प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (RIICo) जयपुर।
   (7) प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर।
   (8) प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खनिज एवं खान लिमिटेड (RSMM Ltd.)वित्त निगम, जयपुर।
   (9) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
   (10) पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जयपुर।
   (11) पंजीयक, कम्पनीज भारत सरकार, जयपुर।
   (12) आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर।
   (13) मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/सिंचाई विभाग, जयपुर।
   (14) निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
   (15) आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा।

1172

(16) समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास।

(17) रजिस्ट्रार कम्पनीज, राजस्थान, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि परिपत्र की प्रतियाँ पालनार्थ समस्त निगमित व अनिगमित कम्पनियों को उपलब्ध कराने का श्रम करें एवं कम्पनीज के संबंध में जारी/प्राप्त दस्तावेज जिनका पूर्ण मुद्रांकन आवश्यक है उनका पूर्ण मुद्रांकन अवश्य करावें।

3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
5. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
6. महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षैत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर–302005
7. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
9. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
10. कन्वीनर, स्टेट लेवल बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, एयरपोर्ट प्लाजा, होटल रेडीशन ब्लू के पीछे, दुर्गापुरा, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि आप अपने स्तर से अपने सभी सदस्य बैंकों को उपरोक्त परिपत्र की प्रति प्रसारित करते हुए परिपत्र में उल्लेखित विधिक प्रावधानों की शत–प्रतिशत पालना सुनिश्चित करवाने का श्रम करावें।
11. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक, राजस्थान को भेजकर लेख है कि अपने–अपने क्षैत्र में स्थित लोक कार्यालयों को इस परिपत्र की प्रति पालना हेतु शीघ्र उपलब्ध करवाकर उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे। समस्त लोक कार्यालय यथा–
    1) केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त कार्यालय,
    2) केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाऐं,
    3) नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम/नगर सुधार न्यास/समस्त विकास प्राधिकरण/आवासन मण्डल के समस्त कार्यालय, एवं अन्य समस्त स्थानीय निकाय,
    4) दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय
    5) समस्त पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं के कार्यालय,
    6) समस्त निगमित एवं अनिगमित कम्पनीयों के कार्यालय,
    7) नोटेरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्त के कार्यालय,
12. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
13. संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी मुख्यालय, अजमेर।
14. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
15. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
16. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
17. अध्यक्ष, क्रेडाई राजस्थान, 424, चतुर्थ तल, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, एम.आई. रोड, जयपुर–302001
18. अध्यक्ष, टाऊनशिप डवलपर एसोसियेशन ऑफ राजस्थान, प्राईम पेवेलियन, ई–666, नकुल पथ, लालकोठी स्कीम, जयपुर–15
19. कंनफेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री, 3, शिवाजी नगर, सिविल लाईन, जयपुर–302006
20. अध्यक्ष, भिवाडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, प्लाट नं. 1, कॉमशियल कॉम्प्लैक्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया, चौपानकी, भिवाडी–301019 जिला–अलवर
21. राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, राजस्थान चैम्बर भवन, एम.आई.रोड, जयपुर–302003
22. सचिव, ऑल इण्डिया फैडरेशन ऑफ टैक्स प्रेक्टिश्नर (ब्र), bbissa71@gmail.com, om_banthia@rediffmail.com
23. अध्यक्ष, स्टील मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, प्रथम तल, सोमानी बिल्डिंग, लोहामण्डी, संसार चन्द्रा लिंक रोड, जयपुर–302001
24. फैडरेशन ऑफ राजस्थान, ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री (FORTI) जयपुर।
25. राजस्थान एक्सचेंज मैमर्स एसोसियेशन, जयपुर।
26. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
27. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
28. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

विभिन्न दस्तावेजो पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की दरें तथा अन्य सूचनाऐ

1.प्रमुख दस्तावेजों के नाम एवं उन पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी/अधिभार/पंजीयन शुल्क की दरें।

क्र. सं.	दस्तावेज का नाम	प्रभावी स्टाम्प ड्यूटी की दर	
1	विक्रय पत्र	i. अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य का	5%
		ii. सामान्य महिला एवं 40% या उससे अधिक निशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति (अधिसूचना दिनांक 14.07.14)	4%
		iii. SC/ST/BPL वर्ग की महिला (अधिसूचना दिनांक 14.07.14)	3%
2	विक्रय इकरारनामा (कब्जा सहित)	i. अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य का	5%
3	विक्रय प्रमाण पत्र	प्रतिफल राशि या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो का 5%	
4	मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अंतर्गत आवंटित आवास का विक्रय दस्तावेज	i. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के व्यक्ति के पक्ष में	प्रतिफल राशि का 1% (अधिसूचना दिनांक 12.02.2018)
		ii. निम्न आय वर्ग (LIG) के व्यक्ति के पक्ष में	प्रतिफल राशि का 2% (अधिसूचना दिनांक 12.02.2018)
5	विनिमय पत्र	5%	
6	दान पत्र	5%	
7	दान पत्र – पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, पति, पौत्र, पौत्री, नाती, नातिन के पक्ष में	2.5%	
8	दान पत्र – पत्नि एवं पुत्री के पक्ष में	1% अधिकतम रूपये 1 लाख	
9	दान पत्र – विधवा के पक्ष में	पूर्ण रियायत	

नोट : क्रम संख्या 1 से 9 तक के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क 1% अधिकतम रूपये 3 लाख देय है।

क्र. सं.	दस्तावेज का नाम	प्रभावी स्टाम्प ड्यूटी की दर	प्रभावी पंजीयन शुल्क की दर
10	गोदनामा	रूपये 1000/–	रूपये 200/–
11	शपथ–पत्र	रूपये 50/–	रूपये 300/–
12	विक्रय इकरारनामा (कब्जा रहित)	कुल प्रतिफल राशि का 0.5% (अधिसूचना दिनांक 08.03.17)	0.25% अधिकतम रूपये 10000 (अधिसूचना दिनांक 08.03.17)
13	निरस्तीकरण का दस्तावेज	रूपये 100/–	रूपये 200/–
14	काउंटर पार्ट	रूपये 100/–	रूपये 100/–
15	सप्लीमेन्ट्री/ करेक्शन डीड	रूपये 500/–	रूपये 200/–
16	बंधक पत्र (कब्जा सहित)	सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 5%	1%
17	बंधक पत्र (कब्जा रहित)	बंधक राशि पर 0.15% अधिकतम 5 लाख (अधिसूचना दिनांक 09.03.15)	1% अधिकतम रूपये 25000/–(अधिसूचना दिनांक 08.03.16)
18	पैतृक सम्पत्ति का विभाजन पत्र	सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 1.5% (अधिसूचना दिनांक 08.03.16)	0.25% अधिकतम रूपये 10000/– (अधिसूचना दिनांक 12.02.2018)
19	पैतृक सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति का विभाजन पत्र	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 3% (अधिसूचना दिनांक 08.03.2017)	0.25% अधिकतम रूपये 10000/– (अधिसूचना दिनांक 08.03.2017)
20	सामान्य पॉवर ऑफ अटॉर्नी	रूपये 100/–	रूपये 500/–
21	पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रतिफल लेकर अचल सम्पत्ति के विक्रय करने हेतु	प्रतिफल राशि का 5%	1% अधिकतम 3 लाख
22	सम्पत्ति के विक्रय अधिकार देने के लिये पिता, माता, भाई, बहिन, पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री के पक्ष में निष्पादित पॉवर ऑफ अटॉर्नी	रूपये 2000/–	रूपये 500/–
23	अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित पॉवर ऑफ अटॉर्नी (विक्रय अधिकार सहित)	अचल सम्पत्ति का 0.5% (अधिसूचना दिनांक 08.03.2017)	0.25% अधिकतम रूपये 10000/– (अधिसूचना दिनांक 08.03.2016)
24	पैतृक सम्पत्ति में हकत्याग पत्र (भाई– बहिन, पिता, माता–पुत्र, पुत्री, दादा, दादी–पौत्र, पौत्री, पति–पत्नि, बुआ–भतीजा, मामा–भांजा)	i. मूल्य रूपये 10 लाख तक	रूपये500(अधिसूचना दिनांक 12.02.18)
		ii. रूपये 10 लाख से अधिक	रूपये 5000 (अधिसूचना दिनांक 12.02.18)
25	हकत्याग पत्र (पैतृक सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति)	5%	1%

26	वसीयतनामा	शून्य	रूपये 200/–
27	काउंटर पार्ट	रूपये 100/–	रूपये 100/–
28	ऋण इकरारनामा	ऋण राशि का 0.15% अधिकतम रूपये 5 लाख (अधिसूचना दिनांक 08.03. 2017)	ऋण राशि का 1% अधिकतम रूपये 25000(अधिसूचना दिनांक 08.03.2016)
29	बैंक गारंटी	बैंक गारंटी की राशि का 0.25% अधिकतम रूपये 25000	बैंक गारंटी की राशि का 1% अधिकतम रूपये 3 लाख
30	बैंक गारंटी का नवीनीकरण	बैंक गारंटी की राशि 0.25% अधिकतम रूपये 1000	
31	वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट	0.25% अधिकतम रूपये 15000/–	रूपये 300/–

लीज (किरायानामा)	सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर	
i. एक वर्ष से कम अवधि	0.02%	स्टाम्प ड्यूटी की राशि की 20%
ii. एक वर्ष या उससे अधिक, पांच वर्ष तक	0.1%	
iii. पांच वर्ष या उससे अधिक, दस वर्ष तक	0.5%	
iv. दस वर्ष या उससे अधिक, पंद्रह वर्ष तक	1%	
v. पंद्रह वर्ष या उससे अधिक, बीस वर्ष तक	2%	
vi. बीस वर्ष या उससे अधिक, तीस वर्ष तक	4%	
vii. तीस वर्ष से अधिक या शाश्वत या किसी निश्चित अवधि के लिये	5%	1% अधिकतम रूपये 3 लाख
लीव एण्ड लाईसेंस	लीज पर देय स्टाम्प ड्यूटी के समान	स्टाम्प ड्यूटी की राशि की 20%

नोट– उपरोक्त समस्त दस्तावेजों पर निम्नानुसार अधिभार का प्रावधान है–

क्र.सं.	विषय	अधिभार की दर
1.	आधारभूत अवसंरचनाओं सुविधाओं के विकास और नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पोषण के प्रयोजनों के लिये	संदेय स्टाम्प ड्यूटी का 10 प्रतिशत
2.	गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्द्धन के प्रयोजनों के लिये	संदेय स्टाम्प ड्यूटी का 10 प्रतिशत